

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जारी अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 412/2022

आदेश पत्र अं. धारा 88/53/48/49 आर.टी.ए.

1. सर्वजीत कौर पत्नी नक्षत्र सिंह जाति जटसिख सा. बुगलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. नक्षत्र सिंह पुत्र तोता सिंह जाति जटसिख सा. बुगलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. जसपाल कौर पत्नी मन्दर सिंह जाति जटसिख सा. बुगलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

1. स्वर्ण सिंह पुत्र अजमेर सिंह (फौत)
2. मनप्रीतकौर पत्नी स्वर्ण सिंह जाति जटसिख सा. बुगलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 1/2 सुखपिन्द्र सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जटसिख सा. बुगलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. गुरचरण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख सा. बुगलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. चेत सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख सा. सिधपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. देवीलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट सा. किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया
5. मनजीत पुत्र रजीराम जाति जाट सा. बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर
6. शैलेन्द्र पुत्र रजीराम जाति जाट सा. बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर
7. सुखजिन्द्र सिंह पुत्र जलावर सिंह जाति जटसिख सा. बुगलावाली तहसील संगरिया
8. सुभाष चन्द्र पुत्र प्रेम सिंह जाति जाट सा. बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर
9. स्वर्ण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति तरखान सा. बुधरवाली तहसील तहसील सादुलशहर
10. स्वरूप चन्द पुत्र प्रेम सिंह जाति जाट सा. बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर
11. बलवीर सिंह पुत्र काशीराम जाति जाट सा. किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया
12. बीरबल पुत्र गंगाराम जाति जाट सा. कालवासीया तहसील सादुलशहर
13. रामप्रताप पुत्र काशीराम जाति जाट सा. किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया
14. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया

—प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 16.9.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू हमारे
बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू शर्मा वकील वादीगण मिन जागिन मुदई श्री संजीव बिशानोई, श्री हनुमन्त चौधरी, श्री
चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.
संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नाम काशतकार मय वल्लिदयत	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1 देवीलाल पुत्र नन्दराम 0.422 हि. 2 बलवीर 0.211 हि. 3 रामप्रताप 0.210 हि. पि. काशीराम 4 बीरबल पुत्र गंगाराम 0.422 हि. 5 मनजीत 0.021 हि. 6 शैलेन्द्रकुमार 0.021 हि. पि. रजीराम राहिनान पीएनबी शाखा 30 पीटीपी प्रतापपुरा 7 सुभाषचन्द्र 0.021 हि. 8 स्वरूपचन्द्र 0.021 हि. पि. प्रेमकुमार राहिनान पीएनबी शाखा 30 पीटीपी प्रतापपुरा	प.म बुगलावाली के चक 29 एएमपी के खाता सं. 95/35 खाते का योग 1.012 हैव. (विवादित श्रेणी का है)	नक्षत्र सिंह पुत्र तोता सिंह जाति जट सिख निवासी बुगलावाली सुखपिन्द्र सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति जट सिख निवासी बुगलावाली सुखजिन्द्र सिंह पुत्र जलावर सिंह जाति जट सिख निवासी बुगलावाली	प.न. 88/180 मु.न. 56 कि.न. 2/0.177 मिन कुल-0.177 हैव. प.न. 88/180 मु.न. 56 कि.न. 1/0.253, 2/0.076 मिन कुल-0.329 हैव. प.न. 88/180 मु.न. 56 का कि. न. 9,10/0.506 कुल-0.506 हैव.
2 1 गुरचरण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह 0.632 हि. राहिन एसबीआई नई धान मण्डी सादलशहर जाति जाट निवासी बुगलावाली 2 नक्षत्र सिंह पुत्र तोता सिंह 0.762 हि. जाति जट सिख निवासी बुगलावाली 3 रामप्रताप पुत्र काशीराम 0.340 हि. जाति जाट निवासी कालवासिया 4 सर्वजीत कौर पत्नि नक्षत्र सिंह 1.073 हि. जाति नाईसिख निवासी बुगलावाली 5 स्वर्ण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह 0.633 हि. जाति जट सिख निवासी बुगलावाली खातेदार	प.म बुगलावाली के चक 21 एमजेडी के खाता सं. 126/32 खाते का योग 3.440 हैव. (विवादित श्रेणी का नहीं है)	सर्वजीत कौर पत्नि नक्षत्र सिंह जाति नाई निवासी बुगलावाली 1.073 हि. नक्षत्र सिंह पुत्र तोता सिंह 0.760 हि. जाति नाई निवासी बुगलावाली गुरचरण सिंह स्वर्ण सिंह पि. लक्ष्मण सिंह जाति तरखान निवासी बुधरवाली तहसील सादलशहर रामप्रताप पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी निवासी बहरामपुरा बोदला	प.न. 88/181 मु.न. 37 कि.न. 4/2/0.063, 4/3/0.025 गै. मु. रास्ता, 5/4/0.025 गै.मु. रास्ता, 7,8,13,14/1.012, 15/1/0.228, 16/1/0.227, 17/0.253 कुल-1.833 हैव. प.न. 88/181 मु.न. 37 कि.न. 9,12,18,19,20/1.265 कुल-1.265 हैव. प.न. 88/181 मु.न. 37 का कि. न. 10/0.089, 11/0.253 कुल-0.342 हैव.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/2642 दिनांक 08.07.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :-यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.9.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया

गया।

(जय कौशिक)
सहायक क्लर्क एवं
संगरिया अधिकारी
संगरिया